न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 28/2021
GCMS NO. : 2021/67

–: प्रार्थीगण:–

1. मृतक हरिसिंह पुत्र जालमसिंह के कायम मुकाम
   1/1. करणीसिंह पुत्र हरिसिंह
   1/2. गिरधारीसिंह पुत्र हरिसिंह
2. मदनसिंह पुत्र जालमसिंह
3. मृतक रामसिंह पुत्र जालमसिंह के कायम मुकाम
   3/1. कैलाशकंवर पुत्री रामसिंह
   3/2. राकेशकंवर पुत्री रामसिंह
   3/3. मनीषाकंवर पुत्री रामसिंह
   3/4. महेन्द्रकंवर पत्नी रामसिंह

जातिगण– राजपूत, निवासीगण– पृथ्वीपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज०।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह फौत के कायम मुकाम
   1/1. धापकंवर पत्नी सज्जनसिंह
   1/2. जयसिंह पुत्र सज्जनसिंह
   1/3. मानसिंह पुत्र सज्जनसिंह
   1/4. राजेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
   1/5. विरेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
   1/6. कंचनकंवर पुत्री सज्जनसिंह
   1/7. विनोदकंवर पुत्री सज्जनसिंह
   1/8. कानसिंह पुत्र सज्जनसिंह फौत के कायम मुकाम
      1/8/1. मीनाकंवर पत्नी कानसिंह
      1/8/2. हर्षवर्धनसिंह पुत्र कानसिंह
      1/8/3. निधिकंवर पुत्री कानसिंह
2. शेरसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
3. जवानसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जातिगण– राजपूत, निवासीगण–पृथ्वीपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
4. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील– जैतारण जिला–पाली (राज.)
5. हल्का पटवारी गरनियां, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 152 सीपीसी

तारीख रजु.: 24/03/2021

Signature Not Verified

उपस्थित:– 1. श्री चावड़दान बारहठ, श्री एम.एस.[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 08/[illegible]/2023

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 152 सीपीसी के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि हद मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 49 रकबा 133–12 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. एक से तीन की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण सं. एक से तीन द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 20/10/1936 को एक राजस्व वाद संख्या 64/86 अनवान मुदईयान सज्जनसिंह व अन्य बनाम मुदायलान हरिसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया गया,

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

इसमें बाद सुनवाई दिनांक 3/02/1987 को उभय पक्षकार के मध्य राजीनामा होने पर माननीय न्यायालय ने राजीनामा तस्दीक किया गया व राजीनामा में वर्णित शर्तों के आधार पर दिनांक 25/02/1987 को निर्णय कर डिक्री पर्चा जारी किया गया। उक्त पूर्ववर्ती राजस्व वाद सं. 64/86 की आदेशिका, वाद पत्र, राजीनामा मय निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जाये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के मध्य खसरा नम्बर 49 रकबा 133-12 बीघा भूमि का राजीनामा के निर्णय व डिक्री के आधार पर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा जरिए नामान्तरण संख्या 186/ दिनांक 18/06/1992 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त नामान्तरण संख्या 186 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त नामान्तरण के अनुसार खसरा नम्बर 49, 49/3, 49/4 की भूमि अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के नाम दर्ज की गई, तथा खसरा नम्बर 49 / 2 की भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। राजीनामा के आधार पर निर्णय मय डिकी दिनांक 25/02/1987 में हरे रंग से दशाई भूमि खसरा नम्बर 49 / 2 प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि एवं लाल रंग से दशाई भूमि खसरा नम्बर अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के हक हिस्से की भूमि एवं पीला रंग से जमीन अप्रार्थीगण के हिस्से की जमीन उनमें से नई सडक (रोड) निकाली गई। मगर न्यायालय के आदेश एवं निर्णय 25/02/1987 के अनुसार मौके पर काबिज हिस्सानुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया। तथा खसरा नम्बर 49 रकबा 10-06 बीघा एवं खसरा नम्बर 49 / 3 रकबा 23-06 बीघा भूमि का हिस्सा मौका एवं निर्णयानुसार रोग एन्ट्री है जबकि खसरा नम्बर 49 रकबा 21-13 बीघा एवं खसरा नम्बर 49 / 3 रकबा 12-01 बीघा भूमि मौके पर स्थित है तथा खसरा नम्बर 49/4 रकबा 13-13 बीघा के स्थान पर मौके पर 3-00 बीघा भूमि स्थित है जो पूर्ण रूप से राजस्व रेकर्ड में गलत प्रवष्टियों का इन्द्राज तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने भूमि का मापन किये बिना ही किया गया है इसलिए राजस्व रेकर्ड में सहवन एवं भूलवश हुई रोंग प्रविष्टियों को मौके पर कब्जा काश्त एवं निर्णय मय डिक्री अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्णय मय डिक्री दिनांक 25/02/1987 के तहत मौके पर काबिज हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 का रोंग रकबा / क्षेत्रफल दुरुस्ती करवाने कहा, मगर अप्रार्थीगण ने दिनांक 7/03/2021 को मौके पर काबिज हिस्सानुसार एवं निर्णय मय डिक्री अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती करवाने से इंकार कर दिया। इसलिए उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि का मौकानुसार भूमि का मापन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बतौर संशोधन रेकर्ड दुरुस्त किया जावे। अप्रार्थी सं. चार राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जो लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है जिससे राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री को न्यायालय के निर्णय के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रकबा / क्षेत्रफल का का इन्द्राज नहीं होने से उसे मौकानुसार भूमि का मापन किया जाकर रेकर्ड दुरुस्ती करने का कहने से भी आज दिन तक रेकर्ड को दुरुस्ती नहीं किया गया, इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 में क्षेत्रफल का निर्णय मय डिक्री अनुसार गलत इन्द्राज होने से अन्तर्गत धारा 111, 128 एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 152 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही कर राजस्व अभिलेख को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय मय डिक्री दिनांक 25/02/1987 के तहत राजस्व रेकर्ड में खसरा 49,49/3 व 49/4 के क्षेत्रफल / रकबे का रोंग इन्द्राज किये जाने से जरिए संशोधन दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थनापत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/7 एवं 1/8/1 से 1/8/3 बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

ालतनामा एवं इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थनापत्र में कथन या कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या-- एक सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का संख्या- दो सही होने से स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या- तीन सही होने स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या-चार सही है कि बिक्री दिनांक 5-2-1987 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या- 186 के माफिक मल दरामद किया गया लेकिन माफिक तरी व हिस्से अनुसार मौके पर जमीन का ाप घोष नही किया. मौके पर पक्षकारान के जमीन किसी कम और किसी के ज्यादा होने से विवाद है तथा कब्जा अनुसार तरमीम नहीं किया गया राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से आपस में विवाद है पटवारी हल्का गरनीया ने माफिक राजीनामा व डिकी निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया और मौके पर हिस्से माफिक नाप चोप नहीं कर केवल मात्र जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या- पांच गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 25/02/1987 के माफिक राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने बाबत कभी नहीं कहा अप्रार्थी हर वक्त राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने के लिए तत्पर है राजस्व अधिकारीयों की टीम कटित कर नाप चोप कर पत्थर गडी कराई जाना जरूरी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या-6 कानूनी है तथा राजस्व रेकर्ड में सुधार कराने बाबत अप्रार्थीगण तैयार हैं। एवं राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या- 112 में अवाप्त की गई भूमि जो राजस्व रेकर्ड में कम की जाकर तरमीम की जावे पुरानी सड़क खसरा नम्बर- 49/4 में से निकली हुई है उसका रकबा दोनों पक्षकारों के हिस्से में से कम की जावे और मौके पर जो जमीन खाली पड़ी है दोनो पक्षकारों के नाम तरमीम की जावे । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माफिक निर्णय दिनांक 25/02/1987 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में कब्जे अनुसार तरमीम की जायें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 125 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 49 रकबा 133-12 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. एक से तीन की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण सं. एक से तीन द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 20/10/1936 को एक राजस्व वाद संख्या 64/86 अनवान मुदईयान सज्जनसिंह व अन्य बनाम मुदायलान हरिसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 3/02/1987 को उभय पक्षकार के मध्य राजीनामा होने पर माननीय न्यायालय ने राजीनामा तस्दीक किया गया व राजीनामा में वर्णित तथ्यों के [illegible] 87 को निर्णय कर डिक्री पर्चा जारी किया गया। उक्त पूर्वव[illegible] वाद सं. 64/86 की आदेशिका, वाद पत्र, राजीना[illegible] पर्चा की प्रतियों प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे [illegible] पत्र का [illegible]ग माना जाये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. एक से [illegible] आधार पर रकबा 133-12 बीघा भूमि का राजीनामा [illegible] तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा जरिए नामान्तरण संख्या 186/ दिनांक 18/06/1992 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त नामान्तरण संख्या 186 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त नामान्तरण के अनुसार खसरा नम्बर 49, 49/3, 49/4 की भूमि अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के नाम दर्ज की गई, तथा खसरा नम्बर 49 / 2 की भूमि प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। राजीनामा के आधार पर निर्णय मय डिकी दिनांक 25/02/1987 में हरे रंग से दशाई भूमि खसरा नम्बर 49 / 2 प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि एवं लाल रंग से दशाई भूमि खसरा नम्बर अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के हक हिस्से की भूमि एवं पीला रंग से जमीन अप्रार्थीगण के हिस्से की जमीन उनमें से नई सडक (रोड) निकाली गई। मगर न्यायालय के आदेश एवं निर्णय 25/02/1987 के अनुसार मौके पर काबिज हिस्सानुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया। तथा खसरा नम्बर 49 रकबा 10-06 बीघा एवं खसरा नम्बर 49 / 3 रकबा 23-06 बीघा भूमि का हिस्सा मौका एवं निर्णयानुसार रोग एन्ट्री है जबकि खसरा नम्बर 49 रकबा 21-13 बीघा एवं खसरा नम्बर 49 / 3 रकबा 12-01 बीघा भूमि मौके पर स्थित है तथा खसरा नम्बर 49/4 रकबा 13-13 बीघा के स्थान पर मौके पर 3-00 बीघा भूमि स्थित है जो पूर्ण रूप से राजस्व रेकर्ड में गलत प्रवष्ठियों का इन्द्राज तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने भूमि का मापन किये बिना ही किया गया है इसलिए राजस्व रेकर्ड में सहवन एवं भूलवश हुई रोंग प्रविष्टियों को मौके पर कब्जा काश्त एवं निर्णय मय डिक्री अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्णय मय डिक्री दिनांक 25/02/1987 के तहत मौके पर काबिज हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 का रोंग रकबा / क्षेत्रफल दुरूस्ती करवाने कहा, मगर अप्रार्थीगण ने दिनांक 7/03/2021 को मौके पर काबिज हिस्सानुसार एवं निर्णय मय डिक्री अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने से इंकार कर दिया। इसलिए उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि का मौकानुसार भूमि का मापन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बतौर संशोधन रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी सं. चार राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जो लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है जिससे राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री को न्यायालय के निर्णय के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रकबा / क्षेत्रफल का का इन्द्राज नहीं होने से उसे मौकानुसार भूमि का मापन किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती करने का कहने से भी आज दिन तक रेकर्ड को दुरूस्ती नहीं किया गया, इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 में क्षेत्रफल का निर्णय मय डिक्री अनुसार गलत इन्द्राज होने से अन्तर्गत धारा 111, 128 एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 152 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही कर राजस्व प्रविष्ठियों को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 25/02/1987 के तहत राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 49,49/3 व 49/4 के क्षेत्रफल / रकबे का रोंग इन्द्राज किये जाने से जरिए संशोधन दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

2. अप्रार्थी इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या- एक सही [illegible] से स्वीकार [illegible] पत्र का पद संख्या- दो सही होने से स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र [illegible] पद [illegible]-तीन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का [illegible] बिक्री दिनांक 25-2-1987 के अनुसार राजस्व [illegible] में नामान्तर [illegible] संख्या- 186 के माफिक अमल दरामद किया गया लेकिन माफिक [illegible] हिस्से अनुसार मौके पर जमीन का नाप घोष नहीं किया। मौके पर [illegible] के जमीन किसी कम और किसी के ज्यादा होने से विवाद है तथा कब्जा अनुसार तरमीम नहीं किया गया राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से आपस में विवाद है पटवारी हल्का गरनीया ने माफिक राजीनामा व डिकी निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया और मौके पर हिस्से माफिक नाप चोप नहीं कर केवल मात्र जमांबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sund
Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

पांच गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25/02/1987 के माफिक राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने बाबत कभी नहीं कहा अप्रार्थी हर वक्त राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने के लिए तत्पर है राजस्व अधिकारीयों की टीम कठित कर नाप चोप कर पत्थर गडी कराई जाना जरूरी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या-6 कानूनी है तथा राजस्व रेकर्ड में सुधार कराने बाबत अप्रार्थीगण तैयार हैं। एवं राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या- 112 में अवाप्त की गई भूमि जो राजस्व रेकर्ड में कम की जाकर तरमीम की जावे पुरानी सड़क खसरा नम्बर- 49/4 में से निकली हुई है उसका रकबा दोनों पक्षकारों के हिस्से में से कम की जावे और मौके पर जो जमीन खाली पड़ी है दोनो पक्षकारों के नाम तरमीम की जावे । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माफिक निर्णय दिनांक 25/02/1987 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में कब्जे अनुसार तरमीम की जायें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व वाद 64/86 अनवान सज्जनसिंह बनाम हरिसिंह के पारित निर्णय मय डिक्री पर्चा एवं राजीनामा दिनांक 25.02.1987 का गहनता से अध्ययन किया गया। मूल वाद धारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का सरहद मौजा-पृथ्वीपुरा के खसरा संख्या 49 रकबा 133-12 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी हैं। राजीनामा के आधार पर निर्णय मय डिक्री दिनांक 25.02.1987 में हरे रंग से दर्शायी गई भूमि खसरा संख्या 49/2 प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि एवं लाल रंग से दर्शायी गई भूमि खसरा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के हक हिस्से की भूमि एवं पीले रंग से दर्शायी गई जमीन अप्रार्थीगण के हिस्से की उनमें से नई सड़क/रोड़ निकाली गई। मगर न्यायालय के आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया।

4. राजीनामा के आधार पर निर्णय मय डिक्री की पालना में नामान्तरण संख्या 186 दिनांक 18.06.1992 को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त नामान्तरण के अनुसार खसरा संख्या 49, 49/3, 49/4 की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की गई तथा खसरा संख्या 49/2 प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। परन्तु अमलदरामद करते समय मौके पर काबिज प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी बिना सीमांकन किए रकबा का इन्द्राज किया जो रोंग एन्ट्री हैं। खसरा संख्या 49 रकबा 10-06 बीघा, खसरा संख्या 49/3 रकबा 23-06 बीघा एवं खसरा संख्या 49/4 रकबा 13-13 बीघा रोंग एन्ट्री दर्ज किया गया जबकि मौके पर काबिज अनुसार खसरा संख्या 49 का रकबा 21-13 बीघा एवं खसरा संख्या 49/3 रकबा 12-01 बीघा, खसरा संख्या 49/4 रकबा 03-00 बीघा स्थित हैं।

5. इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर माफिक जाहिर किया कि डिक्री दिनांक 25.02.1987 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 186 के माफिक अमलदरामद किया गया लेकिन माफिक तरमीम व हिस्सानुसार मौके पर जमीन का [illegible] के पर पक्षकारान् के जमीन किसी के कम व किसी के ज्या[illegible] रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से विवाद हैं। माफिक [illegible] अनुसार राजस्व रेकर्ड में कब्जे अनुसार तर[illegible] किए जाने की [illegible]तदुआ की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात, जमाबन्दियां एवं राजीनामा मय निर्णय डिक्री दिनांक 25.02.1987 एवं नामान्तर संख्या 186 की पुश्त पर नजरी नक्शा इत्यादि से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 49 रकबा 133-12 बीघा किस्म चाही दोयम है, राजीनामा एवं निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करते समय वादग्रस्त

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा (बाली)

रान् के मौके पर काबिज अनुसार बिना सीमांकन किए ही रकबे की रोंग एन्ट्री हुई जिसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अतः वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 तरमीम चली आ रही त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि रकबा क्रमशः 10-06, 23-06, 3-03 बीघा हैं को विलोपित करते हुये के स्थान पर राजीनामा के आधार पर र्णय मय डिक्री दिनांक 25.02.1987 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके र काबिज अनुसार भूमि का सीमांकन कर पुनः भू अभिलेख में दर्ज करते हुये इसका सही जगह तरमीम किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 49 रकबा 133-12 बीघा कृषि भूमि के भू अभिलेख में खसरा नम्बर 49, 49/3 व 49/4 तरमीम में चली आ रही त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि रकबा क्रमशः 10-06, 23-06, 13-03 बीघा हैं को विलोपित करते हुये के स्थान पर राजीनामा के आधार पर निर्णय मय डिक्री दिनांक 25.02.1987 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज अनुसार भूमि का सीमांकन कर पुनः भू अभिलेख में दर्ज करते हुये इसका सही जगह तरमीम किया जावे तथा इसी मुताबिक भू अभिलेख को अद्यतन व परिशुद्ध करे। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **08/06/2023** को प्रशासन गाँवों के संग अभियान गरनियां में सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested